[2021] 2 एस. सी. आर. 529

विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राज्य

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी

वी.

टीआर एन सीनिवासगन

(आपराधिक अपील सं। 231-232 2021 का)

1 मार्च, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.311-की महत्वाकांक्षा-प्रतिवादी के खिलाफ 2010 में दर्ज की गई पी. सी. अधिनियम के तहत एफ. आई. आर.-में मुख्य अभियंता

तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ.) और अन्य सह-अभियुक्त (मृत होने के बाद से)-मुकदमा चलाने की मंजूरी-जुलाई 2011 में दायर अंतिम रिपोर्ट-अभियोजन साक्ष्य अक्टूबर 2017 में बंद-यू/के तहत दायर आवेदन s.311 में

2019 पी. डब्ल्यू.-1 (टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. के अध्यक्ष) और पी. डब्ल्यू.-11 (पुलिस उपाधीक्षक) को वापस बुलाने के लिए-खारिज-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः एस की प्रकृति और दायरे का उचित सम्मान करना। 311 , अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदनों को अनुमति दी जानी चाहिए थी-सही परीक्षण है

क्या न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वापस बुलाए जाने की मांग करने वाले ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक है, अभियोजन पक्ष ने टैंगेडको के बोर्ड द्वारा दी गई मंजूरी से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज की एक प्रति पेश करने की मांग की है, इसे एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करने के लिए, पीडब्ल्यू 1 और 11 को वापस बुलाने की मांग की गई थी-दस्तावेज़ मामले के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रतिवादी ने बचाव पक्ष लिया था कि इस दस्तावेज़ पर बोर्ड की मंजूरी के बिना टैंगेडको के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए आवेदनों को दाखिल करने में देरी

विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-एस। 7 , 12 , 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (डी)।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 की प्रकृति और दायरे को ध्यान में रखते हुए, यह उचित और उचित था कि अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदनों को अनुमति दी जानी चाहिए थी। धारा 311 में यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय किसी भी स्तर पर

सी. आर. पी. सी. के तहत जांच, मुकदमा या अन्य कार्यवाही, किसी को भी समन करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक गवाह के रूप में व्यक्ति, या उपस्थित किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करें, हालांकि गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है, या किसी भी व्यक्ति को याद करें और फिर से पूछताछ करें

पहले से ही जाँच की गई है और न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति को बुलाएगा और जाँच करेगा या वापस बुलाएगा और फिर से जाँच करेगा "यदि उसका साक्ष्य सामने आता है

ताकि यह मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक हो "। अतः वास्तविक परीक्षा यह है कि क्या न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, जिसे वापस बुलाने की मांग की गई है, मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने रिकॉर्ड पर टैंगेडको के बोर्ड द्वारा दी गई मंजूरी से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज की एक प्रति पेश करने और इसे साक्ष्य में एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करने की मांग की है, जिसके लिए पीडब्लू 1 और 11 को वापस बुलाने की मांग की गई थी। अपने आवेदनों में, अभियोजन पक्ष ने नोट किया कि इन गवाहों को प्रासंगिक दस्तावेज़ को चिह्नित करने की आवश्यकता थी, जो मामले के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रतिवादी ने बचाव पक्ष लिया था कि इस दस्तावेज़ पर बोर्ड की मंजूरी के बिना TANGEDCO के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। में।

आवेदन दाखिल करने में देरी के बारे में बताते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह मामले का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक के स्थानांतरण के कारण हुआ था। धारा 311 के तहत वापस बुलाने के लिए आवेदनों की अस्वीकृति क्रम में नहीं थी। उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। पीडब्लू 1 और 11 को वापस बुलाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन

तदनुसार अनुमति दी जाएगी। [पैरा 13,15 और 16] [534-बी-डी; 536-डी-ई; 537-ई-एफ]

मंजू देवी बनाम राजस्थान राज्य (2019) 6 एससीसी 203:

[2019] 6 एस. सी. आर. 68-निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 6 एससीआर 68

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 231-232 2021 का

उच्च न्यायालय के 24.06.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

Crl.O.P में मद्रास में न्यायपालिका की सं. 7694 2019 का और 2019 का 7816।

एम. योगेश कन्ना, राजा राजेश्वरन एस., आदित्य चड्ढा,

सुश्री उमा प्रसुन बाचू, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

डी. एस. पी. द्वारा प्रस्तुत राज्य v. टी. आर. एन. सीनिवासगन [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सेंथिल जगदीशन, सुश्री मृणाल कंवर, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें 24 जून को मद्रास में उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और आदेश से उत्पन्न होती हैं।

2019 .

3. अपीलार्थी वह राज्य होता है जिसका प्रतिनिधित्व डिप्टी करता है।

पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी, चेन्नई शहर IV। 13 जुलाई 2010 को उनके खिलाफ 2010 की एफ. आई. आर. संख्या 14 दर्ज की गई थी।

प्रत्यर्थी (अभियुक्त संख्या 1) और एक अन्य अभियुक्त (जिसकी तब से मृत्यु हो चुकी है) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत। प्रतिवादी तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 2 में मुख्य अभियंता था। आरोप है कि उसने एक कर्मचारी के निलंबन को रद्द करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। 28 जून 2011 को, टैंगेडको के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने प्रतिवादी और सह-अभियुक्त पर पी. सी. अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। की ओर से

अपीलार्थी, यह आग्रह किया गया है कि यह मंजूरी TANGEDCO के बोर्ड की ओर से अध्यक्ष द्वारा दी गई थी। 4. जाँच पूरा होने पर, जाँच अधिकारी ने 27 जुलाई 2011 को पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 7,12 और 13 (2) के तहत प्रतिवादी और सह-अभियुक्त के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 3 की धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट दायर की। 2011 के सीसी नंबर 9 में मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने गवाहों पीडब्लू-1 से पीडब्लू-12 की जांच की, और उनके माध्यम से प्रदर्शनी पी-1 से पी-11 और एमओ-1 से एमओ-10 को चिह्नित किया।

5. जहाँ तक यह इस मामले के लिए सामग्री है, यह ध्यान रखना आवश्यक है

कि पी. डब्ल्यू.-1, टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. के अध्यक्ष से 6 जून 2013 को मुख्य रूप से पूछताछ की गई थी। 18 मार्च को प्रतिवादी द्वारा पीडब्लू-1 की प्रतिपरीक्षा की गई थी।

2014 , और 17 जुलाई 2014 को सह-अभियुक्त के कहने पर आगे की जिरह के लिए फिर से बुलाया गया। पुलिस उपाधीक्षक, पीडब्लू-11 के प्रमुख की परीक्षा 1 फरवरी 2017 को दर्ज की गई थी। इसके बाद 13 फरवरी 2017 को उनकी जिरह की गई और बाद में

1 " पी. सी. अधिनियम "

2 " टैंगेडको "

सी. आर. पी. सी. "[2021] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27 फरवरी 2017 को फिर से बुलाया गया और फिर से जाँच की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य 31 अक्टूबर 2017 को बंद कर दिया गया था, और मामले को अंतिम दलीलों के लिए पोस्ट किया गया था।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें 7 तारीख को शुरू हुईं।

दिसंबर 2017। बचाव पक्ष की दलीलें 16 दिसंबर 2017 को शुरू हुईं और 16 फरवरी 2018 को समाप्त हुईं। यह मामला 27 फरवरी 2018 को अभियोजन पक्ष की अंतिम दलीलों के लिए रखा गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे तैंतीस मौकों पर 26 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

अक्टूबर 2018। इस बीच, पीठासीन अधिकारी को 25 जून 2018 को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दलीलें अंततः समाप्त नहीं हो सकीं। 26 अक्टूबर 2018 के बाद भी मामले को स्थगित कर दिया गया था।

7. हालांकि, 11 फरवरी 2019 को अभियोजन पक्ष ने आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत 2019 के आपराधिक सांसद संख्या 224 और 225 को वापस बुलाने के लिए दायर किया। पीडब्लू 1 और 11, अपीलार्थी को साक्ष्य में एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करने में सक्षम बनाने के लिए, टैंगेडको के बोर्ड की 26 जून 2011 की मंजूरी

प्रत्यर्थी और सह-अभियुक्त के अभियोजन को मंजूरी देना। प्रतिवादी ने इन आवेदनों का विरोध किया। ट्रायल जज ने 19 फरवरी 2019 को एक आदेश पारित किया जिसके द्वारा धारा 311 के तहत आवेदन खारिज कर दिए गए।

8. इसके बाद अभियोजन पक्ष ने उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक ओपी संख्या 7694 और 2019 की 7816 दायर की।

इस आदेश को चुनौती देना। इन्हें उच्च न्यायालय द्वारा 24 जून 2019 के विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। पीडब्लू 1 और 11 के पहले के साक्ष्य पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदन देर से दायर किए गए थे। इस प्रकार, अपीलार्थी ने इस न्यायालय का दौरा किया है। 9. 9 जुलाई 2020 को, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, विलंब को माफ करते हुए और अपीलार्थी की ओर से आग्रह किए गए निवेदनों को दर्ज करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“ 1 देरी को माफ कर दिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए श्री एम. योगेश कन्ना

2

प्रस्तुत करता है कि विशेष अनुमति याचिका के अनुलग्नक पी-4, जो कि 28 जून 2011 का मंजूरी का आदेश है, को मुकदमे में प्रदर्शनी पी-1 के रूप में चिह्नित किया गया है। मंजूरी के

आदेश की सामग्री का उल्लेख करते हुए, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वहाँ डी. एस. पी. बनाम द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया है।

टी. आर. एन. सीनिवासगन [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस तथ्य के लिए एक संदर्भ है कि नियुक्ति प्राधिकरण बोर्ड है और अनुदान के लिए कागजात
बोर्ड के समक्ष मंजूरी रखी गई थी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष केवल बोर्ड के समक्ष हुई कार्यवाही को एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करना चाहता है।

3

नोटिस जारी करें, जो छह सप्ताह में वापस किया जा सकता है।

दस्ती की भी अनुमति है।

4

इस बीच, आज से आठ सप्ताह की अवधि के लिए,

5

लंबित मामलों में आगे की कार्यवाही पर रोक होगी। 2011 का सी. सी. सं. 9 नामक मुकदमा, विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित है।

चेन्नई में भ्रष्टाचार अधिनियम "।

10. नोटिस जारी करने के आदेश के अनुसरण में, विद्वान वकील, श्री सेंथिल जगदीशन, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए हैं। और एक जवाबी हलफनामा दायर किया है।

टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. के बोर्ड द्वारा दी गई मंजूरी से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज़ को रिकॉर्ड में रखें। 12. दूसरी ओर, श्री सेंथिल जगदीशन ने पीडब्लू-1 और पीडब्लू-11 के बयानों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। अनुलग्नक पी-2 में कथित बोर्ड कार्यवृत्त (जिसकी एक फोटोकॉपी जवाबी-हलफनामे के अनुलग्नक आर-2 में दायर की गई है) को भी संदर्भित करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि दस्तावेज़ में, वास्तव में, बोर्ड के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया है

कि पी. डब्ल्यू.-1, जो टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. के अध्यक्ष हैं, ने अपने बयान के दौरान प्रस्तुत किया कि उन्होंने बोर्ड को संदर्भित किए बिना प्रतिवादी और सह-अभियुक्त के अभियोजन के लिए मंजूरी दे दी थी, और वह पी. सी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा करने का हकदार था।

13. हमारे विचार में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 की प्रकृति और दायरे को ध्यान में रखते हुए, यह उचित और उचित था कि

अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदनों को अनुमति दी जानी चाहिए थी। अनुभाग

311 यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में तलब कर सकता है, या उपस्थित किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है, हालांकि गवाह के रूप में तलब नहीं किया गया है, या पहले से ही जांच किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुला सकता है और फिर से जांच कर सकता है और न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाएगा और जांच करेगा या वापस बुलाएगा और फिर से जांच करेगा "यदि

उसका साक्ष्य मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वास्तविक परीक्षा यह है कि क्या न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, जिसे वापस बुलाने की मांग की गई है, मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक है।

14. मंजू देवी बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि धारा 311 के तहत एक आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि मामला अत्यधिक समय से लंबित था।

अभिलेख पर सभी आवश्यक और भौतिक साक्ष्य लेने के बाद निर्णय। दूसरे शब्दों में, एक मामले की उम्र, अपने आप में, मामले की निर्णायक नहीं हो सकती है जब एक भौतिक गवाह की परीक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। न्यायालय की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने निम्नलिखित शब्दों में धारा 311 के अंतर्निहित सिद्धांतों की व्याख्या की:

" 10. इस बात पर शायद ही कोई जोर देने की आवश्यकता है कि धारा 311 सी. आर. पी. सी. के तहत विवेकाधीन शक्तियों का उद्देश्य अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक आवश्यक और उचित उपाय द्वारा किया जाता है।

न्यायालय अभिलेख को सीधा रखे और जहां तक साक्ष्य का संबंध है, किसी भी अस्पष्टता को दूर करे और यह भी सुनिश्चित करे कि किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो। सी. आर. पी. सी. की धारा 311 में अंतर्निहित सिद्धांतों और उसके तहत अदालत की शक्तियों के विस्तार को इस न्यायालय द्वारा कई फैसलों में समझाया गया है [मोहनलाल शामजी सोनी बनाम। भारत संघ, 1991 पूरक (1) एस. सी. सी. 271: 1991 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 595; ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम। गुजरात राज्य, (2004) 4

4 (2019) 6 एस. सी. सी. 203 राज्य डी. एस. पी. बनाम द्वारा प्रस्तुत। टी. आर. एन. सीनिवासगन [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एससीसी 158: 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 999; मीना ललिता बरुआ बनाम। उड़ीसा राज्य (2013) 16 एस. सी. सी. 173: (2014) 6 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 218; राजाराम प्रसाद यादव बनाम। बिहार राज्य (2013) 14 एस. सी. सी. 461 (2014) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 256 और नताशा सिंह बनाम। सी. बी. आई. (2013) 5 एस. सी. सी. 741: (2013) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 828] नताशा सिंह बनाम। सी. बी. आई. [नताशा सिंह बनाम। सी. बी. आई. (2013) 5 एस. सी. सी. 741: (2013) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 828], हालांकि गवाहों की जांच के लिए आवेदन दायर किया गया था अभियुक्त लेकिन, धारा 311 के तहत शक्तियों के प्रयोग से संबंधित सिद्धांतों पर, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार टिप्पणी कीः (एससीसी पीपी। 746 & 748-49 , पैरा 8 और 15)

" 8. सी. आर. पी. सी. की धारा 311 अदालत को किसी भौतिक गवाह को बुलाने या किसी भी स्तर पर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ करने का अधिकार देती है।

सी. आर. पी. सी. के तहत जांच ", या" मुकदमा ", या" कोई अन्य कार्यवाही ", या किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाना, या किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाना और फिर से जांच करना, जिसकी पहले ही जांच की जा चुकी है, अगर उसका सबूत उसके सामने आता है, तो मामले के न्यायसंगत निर्णय के आगमन के लिए आवश्यक है। निस्संदेह, सी. आर. पी. सी. ने इस संबंध में न्यायालय को एक बहुत व्यापक विवेकाधीन शक्ति प्रदान की है, लेकिन ऐसा विवेकाधिकार होना चाहिए

विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया गया और मनमाने ढंग से नहीं। इस संदर्भ में न्यायालय की शक्ति बहुत व्यापक है, और उसी का प्रयोग करते हुए, यह मुकदमे के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है, या अन्य

कार्यवाही। यदि किसी भी पक्ष द्वारा ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है तो न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए भी इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम है। हालांकि, अदालत को खुद को संतुष्ट करना चाहिए, कि वास्तव में ऐसे गवाह से पूछताछ करना, या मामले के न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचने के लिए उसे आगे की जांच के लिए वापस बुलाना आवश्यक था।

***

15. प्रावधान का दायरा और उद्देश्य अदालत को सच्चाई का निर्धारण करने और सभी प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने और ऐसे तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने के बाद न्यायपूर्ण निर्णय देने में सक्षम बनाना है, ताकि मामले के न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचा जा सके। शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए न कि मनमाने ढंग से, क्योंकि इस तरह की शक्ति का कोई भी अनुचित या मनमौजी प्रयोग अवांछनीय परिणाम दे सकता है। धारा 311 सी. आर. पी. सी. के तहत एक आवेदन को केवल अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष के मामले में, या अभियुक्त के नुकसान के लिए, या अभियुक्त के बचाव के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए, या विरोधी पक्ष को अनुचित लाभ देने के लिए एक कमी को भरें। इसके अलावा, अतिरिक्त साक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए।

परिवीक्षण। "कोई भी अदालत", "किसी भी स्तर पर", या "या कोई जांच, मुकदमा या अन्य कार्यवाही", "कोई भी व्यक्ति" और "कोई भी ऐसा व्यक्ति" जैसे शब्दों का उपयोग स्पष्ट रूप से बताता है कि इस धारा के प्रावधानों को व्यापक रूप से व्यक्त किया गया है। इस प्रकार कोई बचाव नहीं है यदि प्राप्त किया जाने वाला नया सबूत आवश्यक है
मामले का न्यायसंगत निर्णय। इसलिए निर्धारक कारक यह होना चाहिए कि क्या उक्त गवाह को बुलाना/वापस बुलाना वास्तव में मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक है। (मूल में जोर) "

15. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने सरकार द्वारा दी गई मंजूरी से संबंधित संबंधित दस्तावेज की एक प्रति पेश करने की मांग की है।

टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. का बोर्ड अभिलेख पर है और इसे साक्ष्य में एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसके लिए पी. डब्ल्यू. 1 और 11 को वापस बुलाने की मांग की गई थी। अपने आवेदनों में, अभियोजन पक्ष ने नोट किया कि इन गवाहों को प्रासंगिक दस्तावेज़ को चिह्नित करने की आवश्यकता थी, जो मामले के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रतिवादी ने बचाव पक्ष लिया था कि इस दस्तावेज़ पर बोर्ड की मंजूरी के बिना TANGEDCO के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। आवेदन दाखिल करने में देरी के बारे में बताते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह मामले का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक के स्थानांतरण के कारण हुआ था। अभियोजन पक्ष के आवेदन के प्रासंगिक भागों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामला अतिरिक्त कानूनी सलाहकार Tr.T.Panneerselvam द्वारा संचालित किया गया था और उन्हें डिप्टी के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था अभियोजन
निदेशक, कांचीपुरम जिला और इसलिए

Tr.Pandiarajan, ADLA, मुख्यालय, DVAC, चेन्नई को इस मामले के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में तैनात किया गया है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रदर्शनी। कृपया, मंजूरी के आदेश से ही पता चलता है कि आदेश बोर्ड द्वारा जारी किया गया था।

लेकिन बचाव पक्ष ने डी. एस. पी. वी. द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। टी. आर. एन. सीनिवासगन [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के तर्क के समर्थन में इस मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए इस माननीय न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए TANGEDCO के बोर्ड से संबंधित दस्तावेजों को चिह्नित करना आवश्यक है कि मंजूरी TANGEDCO में बताए गए कानून और नियमों और विनियमों के अनुसार दी गई थी।
यह प्रस्तुत किया जाता है कि मंजूरी से संबंधित दस्तावेजों को चिह्नित करने के लिए पीडब्लू1 और पीडब्लू11 को वापस बुलाने को कमी या अंतराल को भरने के लिए नहीं कहा जा सकता है। लेकिन केवल इस माननीय न्यायालय के आने में मदद करने के लिए

केवल मामले का निर्णय "।

16. निस्संदेह, हम ध्यान देते हैं कि प्रत्यर्थी को इन गवाहों से जिरह करने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए हम नहीं हैं।

पीडब्लू 1 और 11 के बयानों के संबंध में श्री सेंथिल जगदीसन द्वारा प्रत्यर्थी की ओर से आग्रह किए गए प्रस्तुतियों के गुण-दोष पर कोई भी विचार व्यक्त करना, क्योंकि इनका मूल्यांकन विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा किया जाना होगा। हालाँकि, हमारा विचार है कि धारा 311 के तहत वापस बुलाने के लिए आवेदनों की अस्वीकृति क्रम में नहीं थी। हम तदनुसार अपीलों की अनुमति देते हैं और 24 जून 2019 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार कर देते हैं। पीडब्लू 1 और 11 को वापस बुलाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन तदनुसार स्वीकृत होंगे। प्रतिवादी इन गवाहों से जिरह करने के लिए भी स्वतंत्र होगा।

17. लंबे समय तक मुकदमे के लंबित रहने को ध्यान में रखते हुए, हम आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि मुकदमा 31 जुलाई 2021 तक पूरा किया जाए।

18. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे